

भारत में मेडिकल कॉलेज सीटें और नए नियम

प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019

मेन्स के लिये:

भारत में मेडिकल कॉलेज सीटें और नए नियम, सरकारी नीतियाँ और हस्तकषेप, शक्ति

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग \(NMC\)](#) ने प्रतिदिन लाख आबादी पर **100 से अधिक चिकित्सा शिक्षा** सीटों वाले राज्यों में **नए मेडिकल कॉलेजों** और मौजूदा कॉलेजों के वसितार पर रोक लगाते हुए दशानरिदेश जारी किये हैं।

- इससे पूर्व [NMC ने डॉक्टरों के लिये पेशेवर आचरण पर नए दशानरिदेश भी जारी किये](#) थे, जो उन्हें वशिषिट ब्रांडों के बजाय केवल जेनेरिक दवाओं के आधार पर उपचार करने के लिये बाध्य करते हैं।

राज्यों में मेडिकल कॉलेजों का परदृश्य:

- अत्यधिक मेडिकल कॉलेज सीटों वाले राज्य:**
 - भारत में कम से कम 13 राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों में प्रतिदिन **लाख जनसंख्या पर 100 से अधिक** सीटें हैं, जो उन्हें क्षमता वसितार के लिये अयोग्य बनाती हैं।
 - मेडिकल कॉलेज सीटों की संख्या सबसे अधिक तमलिनाडु (11,225) में है, इसके बाद कर्नाटक (11,020) और महाराष्ट्र (10,295) आते हैं।
- कम मेडिकल कॉलेज सीटों वाले राज्य:**
 - मेघालय, बिहार और झारखंड में जनसंख्या के अनुपात में मेडिकल कॉलेज सीटों की भारी कमी है, जोकि 75% से अधिक है।
 - लगभग 33.5 लाख की आबादी वाले मेघालय में केवल 50 मेडिकल कॉलेज सीटें हैं।
 - 12.7 करोड़ और 3.9 करोड़ की आबादी वाले बिहार तथा झारखंड में क्रमशः 2,565 एवं 980 मेडिकल कॉलेज सीटें हैं।
 - सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कुल सीटों में **61% की कमी** के साथ 9,253 मेडिकल कॉलेज सीटें हैं।

NMC के दशानरिदेश:

- अगस्त 2023 में NMC ने नियम जारी किये जो मेडिकल कॉलेजों के लिये **जनसंख्या के आधार पर सीट का अनुपात** निर्धारति करते हैं।
- यदि प्रतिदिन **लाख जनसंख्या पर 100 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं** तो राज्यों को चिकित्सा शिक्षा के लिये **अपनी क्षमता (सीटों की संख्या) बढ़ाने से प्रतिबंधित** किया जाता है।
- NMC का तर्क है कि इन दशानरिदेशों का उद्देश्य **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना** तथा प्रभावी गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- NMC के नियम 2024-25 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों तथा सीटों का वसितार करने पर लागू होंगे।
- नियमों के अनुसार **अतिरिक्त सीटों वाले राज्यों में कॉलेजों को बंद करने** अथवा मौजूदा सीटों को कम करने **की आवश्यकता नहीं** है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC):

- NMC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है जिसे [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019](#) के रूप में जाना जाता है।

- NMC भारत में चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस के शीर्ष नयामक के रूप में कार्य करता है।
- स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिये प्रतबिद्ध NMC पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का वितरण सुनिश्चित करता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/medical-college-seats-and-new-regulations-in-india>

